कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः– /एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति दिनाँक 21–फरवरी–2026

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, के शासकीय पत्र संख्या–148/71–1–24/71–1001/804/2020 लखनऊ दिनांक–14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक–14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या–4303 दिनांक–14.06.2024 पर अंकित है, के कम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनाँक 19–फरवरी–2026 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित मेडिसिन विभाग विशिष्टताओं में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक–

01. यदि आपके विरूद्व कोई ऐसे प्रतिकूल तथ्य जो संस्था के हित के विपरीत हो, संज्ञान में आने पर नियमानुसार जांचोपरांत आपकी सेवांए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
02. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
03. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय एवं स्थान को अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
04. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
05. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
06. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
07. स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
08. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
09. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. बाण्ड अभ्यर्थी को महानिदेशालय द्वारा निर्गत अनादेय प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा

3– शासनादेश संख्या–4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनाँक 15–12–2008 तथा शासनादेश संख्या–909/71–1–13–जी–11/2011 दिनाँक 11–04–2013, शासनादेश संख्या–सी0एम0–03/71–2014–जी63/08, दिनाँक 22–01–2015, शासनादेश संख्या–104/2019/5044/71–1–9–जी–63/2008 दिनाँक 21–11–2019 एवं शासनादेश संख्या–819/71–1–2015–जी–77/2015, दिनाँक 24–04–2015, दिनाँक 24–04–2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगे।

4– उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनाँक 21–11–2019 एवं 18–07–2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

आदेश संख्या:–7672/एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति, दिनाँक–21–02–2026 का

संलग्नक

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यार्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यार्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	मेडिसिन विभाग (सहायक–आचार्य)	डा0 आशीष कुमार शर्मा, पिता–श्री रामधन शर्मा पता–बी–जी0एफ0–01 अंसल पाम कोर्ट झाँसी।	04–07–1987	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।